दिनांक 19.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति 483/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना नरौरा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 18/19.09.2026 की रात्रि थाना नरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम वादिजपुर बम्बा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त धनेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नरौरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नरौरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धनेश निवासी ग्राम रवानी कटीरी थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)

2–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद चन्दौली/थाना सैयदराजा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.09.2026 को थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त श्यामबली राम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैयदराजा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–श्यामबली राम निवासी ग्राम परेवा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 22 दो पहिया वाहन**
- **स्नेचिंग के 31 मोबाइल फोन**
- **2500/–रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 18.09.2026 को थाना सेक्टर–24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–विक्की उर्फ मोटा 2–करण 3–रविन्द्र 4–विश्वा उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 22 दो पहिया वाहन, स्नेचिंग के 31 मोबाइल फोन, 2500/–रूपये नगद आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–24 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विक्की उर्फ मोटा निवासी घड़ोली डेयरी फार्म, दिल्ली।

2–करण निवासी मयूर विहार फेस–3 थाना गाजीपुर, दिल्ली।

3–रविन्द्र निवासी मयूर विहार फेस–3 थाना गाजीपुर, दिल्ली।

4–विश्वा उर्फ राजा निवासी ग्राम व थाना मोदीपुर, समस्तीपुर, बिहार वर्तमान पता–खोड़ा कालोनी, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 22 दो पहिया वाहन।

2–स्नेचिंग के 31 मोबाइल फोन।

3–2500/–रूपये नगद आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना जारचा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की 17 पानी की मोटर/समरसिबल, 21 पानी के पंखे, 20 आर्मेचर, 02 मोटर राउटर, 04 किलो 500 ग्राम तांबे का तार**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **01 चोरी की मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 18.09.2026 को थाना जारचा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सैथली की मढैय्या तिराहा के पास से अभियुक्त दीपांशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की 17 पानी की मोटर/समरसिबल, 21 पानी के पंखे, 20 आर्मेचर, 02 मोटर राउटर, 04 किलो 500 ग्राम तांबे का तार, चोरी करने के उपकरण, 01 चोरी की मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना जारचा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जारचा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद समरसिबल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में जारचा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दीपांशु निवासी रोशनपुर थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता—रेलवे रोड दादरी थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 05 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की 17 पानी की मोटर/समरसिबल, 21 पानी के पंखे, 20 आर्मेचर, 02 मोटर राउटर, 04 किलो 500 ग्राम तांबे का तार।

2—चोरी करने के उपकरण।

3—01 चोरी की मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त उबैदुर्रहमान को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सुलतानपुर/थाना चांदा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना चांदा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामजी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना बौण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना बौण्डी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/366/363 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुभाष को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना अछल्दा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अछल्दा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 332(सी)/109 बीएनएस के अन्तर्गत अभियुक्त अवनीश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————